



हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय

न्यू सेन्ट्रल होप टाउन, बायॉखाला, शिशमबाडा देहरादून,
पिन- 248011 उत्तराखण्ड, भारत

वेबसाईट: www.hnbmu.ac.in

नीट यू.जी.2025 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग (प्रथम चरण)
अग्रिम शिक्षण शुल्क (Advance Tuition Fee) जमा करने एवं प्रवेश प्रक्रिया (Admission Procedure) सम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचना

Procedure for admission

Step 1	Login to website with your login ID
Step-2	Pay the advance tuition fee as per allotted college & Quota
Step 3	Download advance tuition fee receipt online using your login ID. Download the fee receipt
Step 4	Download allotment letter using your login ID
Step 5	Report to allotted college with tuition fee receipt and other required documents enlisted below
Step 6	Balance amount of tuition fee and other applicable fee to be paid directly to college. For details contact the allotted college
Step 7	Collect your admission letter from the college.

- काउन्सिलिंग में बोर्ड द्वारा आन-लाईन आवेदन के समय अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी समस्त सूचनाओं के आधार पर नियमानुसार सीट आवंटन की कार्यवाही की गयी है। यह आवंटन प्रथम दृष्टया अस्थायी (Provisional) है।
- अभ्यर्थी बोर्ड द्वारा आवंटित सीट का **Allotment Letter** विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर दिये गये लिंक से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।
- अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि केवल **online (Net banking/Debit/Credit card/ Online Generated Bank Transfer Challan)** के माध्यम से ही ली जायेगी।
- विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा की जाने वाली अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि का विवरण:-

क्र. स.	आवंटित संस्थान	राज्य कोटा		ऑल इंडिया-ओपन कोटा	अग्रिम शिक्षण शुल्क धनराशि जमा करने का स्थान
		बॉण्ड सहित	बॉण्ड रहित		
1	2	3	4	5	
1	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी।	50000/-	145000/-	लागू नहीं	Net Banking/Debit/Credit card/ Online Generated Bank Transfer Challan
2	सोबन सिंह जीना राजकीय आर्युविज्ञान एवं शोध संस्थान, अल्मोडा	50000/-	145000/-	लागू नहीं	
3	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून	लागू नहीं	145000/-	लागू नहीं	
4	राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी	लागू नहीं	145000/-	लागू नहीं	
5	राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार	लागू नहीं	145000/-	लागू नहीं	
6	हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जौली ग्राण्ट देहरादून	लागू नहीं	1000000/-	1000000/-	
7	श्री गुरु राम रॉय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हेल्थ साइंसेज देहरादून	लागू नहीं	1000000/-	1000000/-	

8	गौतम बुद्धा चिकित्सा महाविद्यालय, देहरादून	लागू नहीं	1000000/-	1000000/-	
9	सीमा डेण्टल कॉलेज ऋषिकेश	लागू नहीं	200000/-	200000/-	
10	उत्तराचल डेण्टल एण्ड मेडिकल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून।	लागू नहीं	200000/-	200000/-	

- सम्बन्धित आवंटित संस्थान में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पक्ष में जमा किये जाने वाले अग्रिम शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त प्रवेश हेतु संस्थानवार आवश्यक अन्य शुल्क यथा शेष शिक्षण शुल्क धनराशि, प्रवेश शुल्क, धरोहर धनराशि, मैस शुल्क, छात्रावास शुल्क, क्रीडा शुल्क इत्यादि सम्बन्धित संस्थान स्तर पर **ही** जमा किये जायेंगे, जोकि सम्बन्धित संस्थान विशेष के पक्ष में **ही** देय होंगे। कृपया अन्य शुल्कों के सम्बन्ध में अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के वेब साइट के अन्य लिंक **Documents related to college wise fee details** तथा **contact details** पर संस्थान विशेष के सम्बन्धित अधिकारी से दूरभाष के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- यदि कोई अभ्यर्थी संबंधित संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या के समक्ष संबंधित वांछित अभिलेख प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि (दिनांक 24.08.2025) तक उपलब्ध नहीं करवा पाता है अथवा उसके द्वारा प्राचार्य/प्राचार्या के सम्मुख प्रस्तुत किये गये अभिलेखों की जाँच से यह ज्ञात होता कि अभ्यर्थी संबंधित निर्धारित मानकानुसार अर्हता नहीं रखता है, तो उसकी आवंटित सीट को तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
- नीट यू0जी0 2025 उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों द्वारा सूचना भरी गयी थी, अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचना के आधार पर काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन की कार्यवाही की गयी है।
- काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा आवंटित छात्र-छात्रा को प्रवेश लिये जाने के समय समस्त वांछित आवश्यक मूल शैक्षणिक, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी-उपश्रेणी, प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्रों से अभ्यर्थी की संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार अर्हता का सत्यापन करने के पश्चात ही प्रवेश दिया जायेगा। संबंधित नियामक संस्था द्वारा निर्धारित मानकानुसार पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्थान का होगा। अतः संबंधित संस्थान अभ्यर्थी को प्रवेश देने से पूर्व उसकी अर्हता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही प्रवेश दे।
- पाठ्यक्रम हेतु अर्हता, प्रमाण पत्रों (जाति/उपजाति/स्थायी/मूल निवास/शैक्षिक योग्यता इत्यादि) के संबंध में सूचना विवरणिका में प्रकाशित नियम/शर्तें ही मान्य होगी। प्रवेश हेतु अमान्य प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे और ना ही प्रमाण पत्र के स्थान पर किसी प्रकार की Undertaking या Affidavit अथवा Acknowledgement मान्य होगा।
- प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धित अन्य शेष नियम व शर्तें Information Bulletin के ADMISSION PROCEDURE के अनुसार यथावत रहेंगी।

ADMISSION PROCEDURE

- Download allotment letter
 - Follow the instructions regarding payment of centralized advance tuition fee available on the allotment letter & as notified above.
 - **Candidate should report personally to the allotted college along with the following documents in original for completion of further admission process within specified period**
- 1- Copy of allotment letter
 - 2- Payment of centralized advance tuition fee (to be deposited at the allotted college).
 - 3- High School (10th) Certificate for Age proof.
 - 4- Intermediate (10+2) Certificate.
 - 5- Intermediate (10+2) Mark sheet
 - 6- NEET UG 2025 Admit Card (issued by NTA)
 - 7- NEET UG 2025 Result/Rank letter (issued by NTA)

- 8- Certificate of Reserve category (SC/ST/OBC/EWS), if applicable. issued by competent authority of Uttarakhand only. OBC certificate must be of NCL category and must be valid on start of counselling
 - 9- Certificate of Sub Category (FF/Orphan/DPW), if applicable, issued by competent authority of Uttarakhand only. DPW benefit is applicable only for Ex- serviceman from armed forces. (serving personnel & Paramilitary forces are not eligible for DPW benefit)
 - 10- PWD category certificate issued by the Special Medical Board constituted by the Director General Medical Health & Family welfare, Uttarakhand only, if applicable.
 - 11- Certificates required for Ward of Kashmiri Migrants, if applicable.(please refer to Information bulletin)
 - 12- Domicile Certificate (For Uttarakhand candidate only, if applicable(issued by competent authority of Uttarakhand only)
 - 13- Valid ID proof (preferably Aadhaar Card/Passport/ PAN card/driving license etc)
 - 14- Other document as per the requirement of the concerned college (kindly visit the college website or contact the concerned person)
 - 15- Payment of remaining fee amount (tuition fee/hostel/mess charges etc as per the allotted college) to be deposited at the admitted college.
 - After doing the above mentioned formalities/procedure, the admission process will only be completed once the candidate gets the admission letter issued by the concerned college within the specified time period mentioned in the allotment letter. Hence, the candidates are required to make necessary arrangement from his/her side well in time to complete the whole admission process within the specified time period of that particular round.
 - Candidates who have deposited their original documents with any other Institute/ College/ University and come for admission with a certificate stating that "their original certificates are deposited with the Institute / College / University" will **NOT** be allowed to take admission in allotted Medical/Dental College.
- यदि कोई अभ्यर्थी काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा प्रथम चरण में सीट आवंटन किये जाने के उपरान्त आवंटित संस्थान में प्रवेशित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात निर्धारित समय सीमा में नियमानुसार सीट छोड़ता है तो इस दशा में उसे सम्बन्धित संस्थान में जमा किये गये शिक्षण शुल्क में से अधिकतम धनराशि रु0 6000/- मात्र की कटौती के उपरान्त शेष जमा धनराशि सम्बन्धित संस्थान द्वारा वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा सम्बन्धित संस्थान में उपभोग की गयी सेवाओं (यथा छात्रावास, मैस आदि) के सापेक्ष वास्तविक शुल्क धनराशि की कटौती भी उसके द्वारा इस हेतु जमा शुल्क में से की जाएगी।
 - शेष नियम व शर्तें Information Bulletin में वर्णित प्राविधानुसार यथावत रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे Information Bulletin का भली भाँति अध्ययन कर लेवे।
 - भविष्य में प्रवेश/काउंसिलिंग सम्बन्धी अद्यतन सूचनाएं/अपडेट समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hnbmu.ac.in में ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजा जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में विश्वविद्यालय की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन अवश्य करते रहें।
 - द्वितीय चरण काउन्सिलिंग कार्यवाही हेतु निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

नोटिस प्रकाशन तिथि – 19.08.2025

सदस्य सचिव/ नीट यू0जी0 2025
उत्तराखण्ड राज्य केन्द्रीयकृत काउंसिलिंग बोर्ड